न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल और जी. *एस. चहल, के समक्ष*

एस. एस. विरदी,-याचिकाकर्ता,

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ और *अन्य-उत्तरदाता।*

1990 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 13783

10दिसंबर, 1990।

हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971- धारा 3 और 7-कार्यकाल के पद पर नियुक्ति-पंजाब से प्रतिनियुक्ति पर मुख्य अभियंता को अधिसूचना द्वारा 3 साल की सांविधिक अवधि के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया- 3 साल की अवधि सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे चल रही है-पंजाब राज्य ने याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं लिया है-बोर्ड में नियुक्ति सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्ति के बराबर नहीं है-ऐसी संविदात्मक नियुक्ति का निर्धारण बिना सुनवाई के 3 साल की समाप्ति से पहले नहीं किया जा सकता है-चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कार्रवाई प्रशासन याचिकाकर्ता को अध्यक्ष के कार्यकाल के पद से से मुख्य अभियंता, यू.टी. में स्थानांतरित कर रहा है। प्रशासन शून्य, याचिकाकर्ता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बने रहने का हकदार है - प्रशासन के पास नियुक्ति की अवधि कम करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि *चंडीगढ़* आवास *बोर्ड एक* सांविधिक *निकाय है और इसके किसी भी कार्यालय में नियुक्ति सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार या विस्तार* के बराबर *नहीं माना जा सकता है। (पैरा 4)*

यह अभिनिर्धारित किया *गया कि याचिकाकर्ता का पूरा सेवा रिकॉर्ड प्रतिवादी प्रशासन के पास था जब उसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रशासन ने देखा होगा कि वह 31 अक्टूबर, 1990 को* सेवानिवृत्ति की *आयु प्राप्त कर रहा था।* इसलिए *वैधानिक निकाय के प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति, इसलिए, इसे पदोन्नति का मामला नहीं माना जा सकता। (पैरा 4)*

अभिनिर्धारित किया गया कि *कानून को दरकिनार करने के लिए,* प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों *ने वैधानिक बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्य अभियंता के पद पर स्थानांतरित करने की एक नई विधि के बारे में सोचा, जिस पद पर वह अपनी नियुक्ति से पहले कार्यरत थे। जैसा कि नोट्स से पता चलेगा,* कि *प्रशासक ने सोचा था कि नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना वापस लेने से कुछ कानूनी जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं और वह इससे बचना चाहता था। याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और उसकी नियुक्ति मनमाने तरीके से समाप्त कर दी गयी. हालाँकि वह अपनी नियुक्ति के समय किसी अयोग्यता से पीड़ित नहीं थे,* और *न ही उन्होंने अधिनियम की धारा 6 के अर्थ के तहत अपने कार्यकाल के दौरान कोई अयोग्यता अर्जित की थी। इसलिए, यह* अभिनिर्धारित किया *जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभालेगा। (पैरा 8 एवं 9)*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि: -

(i) कृपया मामले के रिकॉर्ड मंगवाए जाएं;

(ii) कि रिकॉर्ड के अवलोकन और पक्षों के वकील की सुनवाई के बाद, यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित राहत प्रदान कर सकता है: -

(ए) 16 अगस्त, 1990 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी, परमादेश या कोई अन्य उचित रिट या आदेश जारी करें, जिसे हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 का अवैध और अधिकारातीत घोषित करें। और प्रतिवादियों को तत्काल प्रभाव से याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ आवास बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर वापस रखने का निर्देश दिया जाए, ताकि वह तीन साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर सकें, जिस पर नियुक्ति आदेश के अनुसार उनका कानूनी अधिकार है और उपरोक्त अधिनियम की धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी अधिकार है; और यह माना जाए कि याचिकाकर्ता इसका हकदार है । शेष अवधि को समान शर्तों, विशेषाधिकारों और परिलब्धियों पर पूरा करना, जिसमें घर, टेलीफोन, कार और अन्य सुविधाएं शामिल थीं;

(iii) कि कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, कृपया जारी किया जा सकता है;

(iv) कि माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत भी प्रदान की जा सकती है;

(v) कि अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता को कृपया समाप्त किया जा सकता है;

(vi) कि उत्तरदाताओं को इस याचिका की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता को कृपया समाप्त किया जाए;

(vii) कि इस याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ दी जा सकती है;

(viii) आगे प्रार्थना की गई है कि इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता 31 अक्टूबर, 1990 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहा है और चूंकि उसे अवैध रूप से और मनमाने ढंग से आवास बोर्ड के अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के पद से वंचित किया गया है और 31 अक्टूबर 1990 के बाद, प्रतिवादियों की अवैध कार्रवाई के कारण उन्हें बिना किसी काम और नौकरी के छोड़ दिया जाएगा, आवेदक को इस याचिका के निर्णय तक आवास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्हीं नियमों और शर्तों, परिलब्धियों और सुविधाओं पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी जो नियुक्ति आदेश या किसी अन्य अंतरिम आदेश के अनुपालन में आवास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते समय उपलब्ध कराई गई थी, जिसे यह माननीय न्यायालय उपयुक्त और उचित समझे, पारित किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के लिए एच. एल. सिब्बल, एस. सी. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ आर. के. हांडा और मिस करण रंधावा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद सरूप के साथ राजीव विज, अधिवक्ता।

(1) याचिकाकर्ता ने, इस रिट याचिका के माध्यम से, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 अगस्त, 1990, (अनुलग्नक पी5) को अवैध घोषित करने के बाद रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी और परमादेश की रिट की मांग की है और हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 को केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (शीघ्र ही अधिनियम) तक विस्तारित किया गया, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को उन्हें चंडीगढ़ आवास बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') के अध्यक्ष के रूप में वापस रखने का निर्देश दिया गया।

(2) याचिकाकर्ता अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, बी एंड आर, पंजाब के पद पर थे और पंजाब आवास और विकास बोर्ड के मुख्य अभियंता के रूप में काम कर रहे थे, जब उन्हें प्रतिवादी-प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था, जहाँ उन्हें मुख्य अभियंता और सचिव, इंजीनियरिंग विभाग *के* रूप में नियुक्त किया गया था। 3 मई, 1990 की अधिसूचना, संलग्नक पी 2 के माध्यम से, याचिकाकर्ता को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त *किया* गया था जिसका गठन अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया था। उसी अधिसूचना के माध्यम से, बोर्ड के सात अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया था। यह विशेष रूप से कहा गया था कि सदस्य अधिसूचना की तारीख से तीन साल की *अवधि* के लिए पद धारण करेंगे। याचिकाकर्ता ने 3 मई, 1990 को कार्यभार संभाला। 5 जून, 1990 के आदेश, संलग्नक पी4 के अनुसार, यह आदेश दिया गया था कि याचिकाकर्ता अगले आदेश तक प्रतिवादी-प्रशासन के मुख्य अभियंता और सचिव, इंजीनियरिंग विभाग के पद *का* अतिरिक्त प्रभार संभालता रहेगा। 16 अगस्त, 1990 को-संलग्नक पी5 के माध्यम से, अधिसूचना संलग्नक पी2 को आंशिक रूप से संशोधित किया गया था और श्रीमती. तेजिंदर कौर, आई. ए. एस., वित्त सचिव को याचिकाकर्ता के स्थान पर वित्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा बोर्ड की

अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के मुख्य अभियंता के रूप में स्थानांतरित किया गया था। उसी दिन, 16 अगस्त, 1990 का आदेश, संलग्नक पी5 पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को मुख्य अभियंता, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के रूप में स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता ने इन आदेशों पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत और आदेश संलग्नक पी 2 के तहत भी, उसकी नियुक्ति की अवधि तीन साल के लिए थी। अधिसूचना को वापस लेने का आदेश अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन है। यह उन्हें बिना किसी सूचना के पारित किया गया था और यह प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों का एक मनमाना कार्य था, जिनके पास उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल के पद से प्रत्यर्थी-प्रशासन के तहत मुख्य अभियंता के पद पर स्थानांतरित करने की *कोई शक्ति* नहीं थी। श्रीमती की नियुक्ति की व्यवस्था, अध्यक्ष के रूप में तेजिंदर कौर एक अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ थीं और दुर्भावनापूर्ण थीं। यह न तो जनता के हित में था और न ही कानून द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रशासक के समक्ष प्रतिनिधित्व किया था कि प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों के पास उनकी नियुक्ति की अवधि को कम करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है।

(3) प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों ने लिखित बयान दाखिल करके रिट याचिका का विरोध किया है। बदले में कहा गया है कि विवादित आदेशों से याचिकाकर्ता के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता को पंजाब सरकार से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने और मुख्य अभियंता के रूप में उनकी नियुक्ति के तथ्य और *इंजीनियरिंग विभाग* के पदेन सचिव को नियुक्त किया गया। रिटर्न के पैरा 3 में आगे कहा गया है कि पिछले बोर्ड का कार्यकाल 8 जनवरी, 1990 को समाप्त हो गया था और वित्त सचिव को एक सदस्य बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और नए बोर्ड के गठन तक अध्यक्ष के पद का अस्थायी प्रभार

दिया गया था। अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक ने बोर्ड के एक अध्यक्ष और सात अन्य सदस्यों की नियुक्ति की। उन्हें अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति की वैधता पर संदेह पैदा हुआ। इसके बाद इस मामले की विभिन्न चरणों में जांच की गई। तब यह पाया गया कि अध्यक्ष के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध और अमान्य थी। इसे केवल मुख्य अभियंता के पद से बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर स्थानांतरण का आदेश माना जा सकता है। नतीजतन, 16 अगस्त, 1990 को याचिकाकर्ता को मुख्य अभियंता के पद पर वापस स्थानांतरित कर दिया गया। यह आदेश केवल गलती को सुधारने और 3 मई, 1990 के आदेश के पारित होने के परिणामस्वरूप मामले को नियमित करने के रूप में था। यह केवल प्रत्यर्थी-प्रशासन की आवश्यकताओं पर पारित एक प्रशासनिक आदेश था जिसे गृह सचिव द्वारा याचिकाकर्ता को बताने का आदेश दिया गया था।

(4) निर्विवाद रूप से, अधिनियम 5 को केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया गया था। अनुलग्नक पी 1, 1 मार्च 1975 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र का उद्धरण है। अधिनियम की धारा 6 में सदस्यों के नियम और शर्तें बताई गई हैं जो इस प्रकार हैं:

"6(1) कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह,-

(क) बोर्ड के अधीन कोई कार्यालय या लाभ का स्थान रखता है;

(ख) विकृत दिमाग का है;

(ग) एक अनुन्मोचित दिवालिया है;

(घ) बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी अनुबंध या रोजगार में स्वयं या किसी भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित रखता है;

(ङ) किसी निगमित कंपनी का निदेशक या सचिव, प्रबंधक या अन्य वेतनभोगी अधिकारी है जिसका बोर्ड के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अनुबंध या रोजगार में कोई हिस्सा या हित है;

(च) नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; और

(छ) कार्य करने में असमर्थ हो गया है या;

(ज) अन्यथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य है।

धारा 7 का प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा। सूचना अनुलग्नक P-2 में, यह विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि सदस्य इस सूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। प्रतिवादी प्राधिकरणों ने यह दावा करने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध और आरंभ से शून्य थी, इस आधार पर कि वह पंजाब राज्य से प्रतिनियुक्ति पर थे और 31 अक्टूबर, 1390 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। चूंकि पंजाब सरकार (याचिकाकर्ता के मुख्य नियोक्ता) से कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए उनकी नियुक्ति अनुचित थी। अधिनियम की धारा 6 के तहत, किसी अन्य पद पर होना सदस्य या बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है। प्रतिवादी प्राधिकरणों की ओर से लिखित वक्तव्य के पैराग्राफ 3 का संदर्भ से पता चलेगा कि पहले श्री जे. एस. कोहली, जो पंजाब से भी प्रतिनियुक्ति पर थे, को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बोर्ड एक सांविधिक निकाय है और इसके किसी भी पद पर नियुक्ति को पुनर्नियोजन या सेवानिवृत्ति से परे विस्तार के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी प्राधिकरणों

द्वारा इस तरह की सोच को उचित ठहराया नहीं जा सकता। इस चरण में, विभाग की आवश्यक टिप्पणियों की जांच की जा सकती है। (ये प्रतिवादी प्राधिकरणों की वापसी से निकाले गए हैं)। 25 जुलाई, 1990 को, वित्त सचिव ने निम्नलिखित नोट प्रशासन के सलाहकार को भेजा :-

श्री विर्दी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित कारणों के आधार पर उचित प्रतीत नहीं होती है:-

> 1987 में श्री जे. एस. कोहली को चंडीगढ़ आवास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि वे सेवा में थे। वे भी पंजाब के प्रतिनियुक्ति पर थे और अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी सेवानिवृत्त होने वाले थे। उस समय, पंजाब सरकार ने यू.टी. प्रशासन को यह जानने के लिए पत्र लिखा था कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने से पहले मूल विभाग की पूर्व अनुमति क्यों नहीं ली गई। भारत सरकार के अनुसार, विस्तार/पुनर्नियोजन के मानदंड और प्रक्रिया के संबंध में निर्देशों के अनुसार "कैडर के बाहर के पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को सेवा के विस्तार के अनुदान के प्रस्ताव के लिए जिसमें वे स्थायी रूप से संबंधित हैं, कैडर प्राधिकरण की विशिष्ट सहमति होनी चाहिए। पंजाब सरकार के कर्मचारी होने के नाते श्री विर्दी को उनकी मंजूरी के बिना विस्तार/पुनर्नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।"

"पूर्व प्रशासक द्वारा पारित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि श्री विर्दी क्या सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् 31 अक्टूबर, 1990 के बाद स्वतः ही सेवा में जारी रहेंगे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा संभाले जा रहे 2 पदों में से कौन सा पद मुख्य पद है और कौन सा

अतिरिक्त पद है। आगे के आदेशों की प्रार्थना की जाती है।"
27 जुलाई, 1990 को, प्रशासक के सलाहकार ने आदेश दिया कि भारत सरकार के निर्देशों के आलोक में प्रशासन के कार्मिक विभाग में इस मामले की जांच की जाए। ऐसी जांच के उपरांत, गृह सचिव ने 31 जुलाई, 1990 को, 27 जुलाई, 1990 के प्रशासक के सलाहकार के आदेशों से संबंधित निम्नलिखित नोट रखा।"

> " 3 मई, 1990 की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न हुए हैं।नियम और शर्तों की अनुपस्थिति में से संबंधित इस अधिसूचना की सामग्री में अपर्याप्तता का उल्लेख किया गया है।संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण की मंजूरी का अभाव एक और कमी है।अंत में, सिद्धांत रूप में, अध्यक्ष का पद उच्च पद का होता है क्योंकि अध्यक्ष के अधीन काम करने वाले मुख्य अभियंता का प्रावधान होता है।
>
> इन कठिनाइयों को देखते हुए, मैं उप सचिव, गृह से सहमत हूं कि श्री विर्दी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति आरम्भतः *ही अमान्य* है। इसलिए, यह वांछनीय है कि 3 मई, 1990 की अधिसूचना को वापस लिया जाए और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड के पुनर्गठन के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। आदर्श रूप से बोर्ड में वित्त और विधि विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए।
>
> यह प्रस्ताव किया गया है कि 3 मई, 1990 की अधिसूचना को वापस लेने के साथ-साथ बोर्ड को चलाने के लिए अंतरिम व्यवस्था की जाए। यह विचार किया जा सकता है कि वित्त सचिव को पूर्ण बोर्ड के गठन तक बोर्ड की गतिविधियों को जारी रखने के लिए एक-व्यक्ति बोर्ड के रूप में नियुक्त किया

जा सकता है।"

8 अगस्त, 1990 को प्रशासक के सलाहकार ने निम्नलिखित आदेश पारित किए जिन्हें 11 अगस्त, 1990 को प्रशासक द्वारा अनुमोदित किया गया थाः

"प्रशासक के साथ चर्चा के बाद मैंने फाइल को वापस ले लिया। चंडीगढ़ आवास बोर्ड का गठन प्रशासक की मंजूरी से दिनांक 3 मई, 1990 *अधिसूचना,* के माध्यम से किया गया *था*। इस मामले पर कुछ दिन पहले प्रशासक के साथ चर्चा की गई थी। बोर्ड के गठन में कुछ खामियां हैं। मुख्य अभियंता को अपने मूल विभाग की सहमति के बिना और अपनी नियुक्ति की शर्तों को निर्दिष्ट किए बिना तीन साल की अवधि के लिए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति समूह 'ए' अधिकारी की पुनर्नियुक्ति के बराबर है, जो इस विषय पर भारत सरकार के निर्देशों के खिलाफ है। प्रशासन के वित्त और कार्मिक विभागों में मामले की विस्तार से जांच की गई है और यह सुझाव दिया गया है कि 3 मई, 1990 की अधिसूचना को रद्द करने के बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए, ताकि दुर्बलताओं को दूर किया जा सके और एक अंतरिम उपाय के रूप में, श्रीमती तेजिंदर कौर, आई. ए. एस., वित्त सचिव को एक व्यक्ति बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जा सके। हालांकि, मामले के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि श्रीमती तेजिंदर कौर, वित्त सचिव को मुख्य अभियंता श्री एस. एस. विर्दी के स्थान पर आवास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, जो 31 अक्टूबर, 1990 से सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं क्योंकि तीन साल के लिए बोर्ड के अध्यक्ष

के रूप *में उनकी* नियुक्ति उपरोक्त स्थिति के प्रकाश में आरम्भतः ही गलत है। बोर्ड के पुनर्गठन और 3 मई, 1990 की अधिसूचना को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे कुछ कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।"

उपरोक्त टिप्पणियों के अवलोकन से यह पता चलता है कि प्रत्यर्थी-प्रशासन ने उन तरीकों और साधनों का पता लगाने की कोशिश की थी कि याचिकाकर्ता को बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कैसे हटाया जा सकता है क्योंकि उनकी तीन साल की निरंतरता सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे होगी। यह रिकॉर्ड में नहीं है कि प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों ने यह पता लगाने के लिए पंजाब सरकार से संपर्क करने की कोशिश की थी कि क्या याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद वैधानिक निकाय के प्रमुख के रूप में बने रहने पर कोई आपत्ति थी। याचिकाकर्ता का पूरा सेवा रिकॉर्ड प्रत्यर्थी-प्रशासन के पास था जब उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रशासन देख सकता था कि वह 31 अक्टूबर, 1990 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर रहे थे।इसलिए वैधानिक निकाय के प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति को पदोन्नति का मामला नहीं माना जा सकता है।

(5) श्री आनंद स्वरूप, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें पंजाब सिविल सेवा नियमों के द्वारा यह दिखाने के लिए कहा है कि किस तरह से एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है और मूल विभाग के प्रतिनियुक्तिदाता को वापस लेने के अधिकार हैं। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने सोहन सिंह *बनाम पंजाब* राज्य *और अन्य,* (1) *का भी उल्लेख* किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार और अधिकारी के बीच कोई अनुबंध नहीं होता है जब उन्हें अधिकारी नियम 10.2 के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है और उनकी कानूनी स्थिति अनुबंध की तुलना में स्थिति की अधिक बनी हुई है। यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें इस बात पर जोर देने का अक्षम्य अधिकार

है कि उन्हें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसलिए, राज्य सरकार ने एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विदेशी सेवा की प्रतिनियुक्ति पर अपने अधिकारी की सेवाएं उधार दी हैं, उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले, संबंधित अधिकारी की सहमति के बिना अधिकारी को कानूनी रूप से एकतरफा रूप से वापस बुला सकती है। यह भी माना जाता है कि जहां एक अधिकारी, जो अपने विदेशी सेवा में स्थानांतरण पर, अधिक भत्ते और उच्चतर स्थिति और रैंक का आनंद ले रहा है, को निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले, उसके मूल विभाग में कम रैंक और कम भत्तों के साथ उसकी सहमति या उसे सूचना दिए बिना वापस बुलाया जाता है, वहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। इन कानूनी प्रस्तावों में से किसी के साथ भी विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन वे हमारे सामने मामले के तथ्यों के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। इस मामले में, मूल पंजाब राज्य ने याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं लिया था। जब याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकरणों के पास एक प्रतिनिधित्व के साथ संपर्क किया, उन्हें सूचित किया गया, विदेश परिशिष्ट P-8, दिनांक 12 सितंबर, 1990 के अनुसार कि यह केवल एक प्रशासनिक आदेश था, जो प्रशासन की आवश्यकताओं पर आधारित था।"

(6) निर्णय के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों के पास याचिकाकर्ता को बोर्ड के अध्यक्ष के पद से हटाने की शक्ति थी। सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों से इस मामले पर दिशा-निर्देश मांगे जा सकते हैं। उड़ीसा राज्य बनाम *डॉ. (मिस) बिनापानी,* (2) *में उच्चतम न्यायालय* ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

> "यह हमारे संवैधानिक ढांचे के मूलभूत नियमों में से एक है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य या उसके अधिकारियों के मनमाने अधिकार के प्रयोग से संरक्षित किया जाता है। इसलिए न्यायिक

रूप से कार्य करने का कर्तव्य उस कार्य की प्रकृति से उत्पन्न होता है जिसे करने का इरादा हैः इसे सुपर-एडेड दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पक्षपात में निर्णय और निर्धारण करने की शक्ति हो, तो ऐसी शक्ति के प्रयोग में न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य निहित है। यदि न्यायाधीश की अनिवार्यताओं को नजरअंदाज किया जाता है और किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए आदेश दिया जाता है, तो वह आदेश अमान्य है। यह कानून के शासन की एक बुनियादी अवधारणा है और इसका महत्व किसी भी विशेष मामले में निर्णय के महत्व से परे है।"

(7) डॉ. *बूल चंद बनाम* कुलाधिपति, *कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय* अधिनियम, कानून *(3)* में, उनके प्रभुत्वों को भी निम्नानुसार देखा गया है और अध्यादेश उन शर्तों को निर्धारित नहीं करते हैं जिनमें कुलपति की नियुक्ति निर्धारित की जा सकती है और न ही अधिनियम नियुक्ति निर्धारित करने के लिए कुलाधिपति की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा निर्धारित करता है। लेकिन एक बार जब नियुक्ति एक सांविधिक व्यवस्था के अनुसार की जाती है, हालांकि नियुक्ति करने वाले प्राधिकरण रोजगार निर्धारित करने से वंचित नहीं है, नियुक्ति को समाप्त करने के लिए नियुक्ति प्राधिकरण का निर्णय केवल न्याय और निष्पक्षता की मूल अवधारणा के अनुरूप तरीके से आयोजित जांच के परिणाम पर आधारित हो सकता है।

(8)कानून को दरकिनार करने के लिए, प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों ने वैधानिक बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्य अभियंता के पद पर स्थानांतरित करने के लिए एक नए तरीके के बारे में सोचा, जो पद उन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले संभाला था। चूंकि टिप्पणियों से पता चलता है कि प्रशासक ने सोचा था कि नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना को वापस लेने से कुछ कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और वह इससे बचना चाहता था।

याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और उनकी नियुक्ति को अनुलग्नक पी-5 और पी-6 के आदेश पारित करके मनमाने तरीके से समाप्त कर दिया गया था, हालांकि वह अपनी नियुक्ति के समय किसी भी अयोग्यता से वंचित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अधिनियम की धारा 6 के अर्थ के भीतर अपने कार्यकाल के दौरान कोई अयोग्यता प्राप्त की थी।

(9) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम एतद्द्वारा रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और आक्षेपित आदेशों परिशिष्ट P-5 और P-6 को रद्द करते हैं और निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर बना रहेगा और उक्त आदेशों के पारित होने के बावजूद सभी परिणामी लाभों के साथ उस पद पर बना रहेगा। प्रतिवादी-प्राधिकरणों को रिट याचिका की लागत भी चुकानी होगी, जिसे 2,000 रुपये पर आंका गया है।"

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा